सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

महोदय,

कृपया मैसर्स हरिद्वार वन, आवेदक श्री परमिन्दर पुत्र स्व0 श्री ईन्द्रदास, खसरा नं0 4/18, साधूवेवा उत्तम बस्ती ग्राम भूपतवाला कंला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2017 पर आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांकः 26.06.2017 के अनुपालन उपलब्ध कराये गये संलग्न मानचित्र का परिशीलन किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया, मानचित्र के अनुसार स्थल भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ-जा सकता है, प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कराने में कोई आपत्ति नहीं है, स्वामी/प्रबन्धन द्वारा भवन के अध्यासन से पूर्व निम्नांकित व्यवस्थायें कर ली जायें-

1. भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी पर आधारित हो।
2. सीढिया रेलिंग युक्त हों तथा लकडी की फिटिंग्स पर अग्नि निरोघक पेन्ट कराया जाये।
3. भवन में विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी पर आधारित हो।
4. प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी 2005 के भाग-4 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त सैटबैक का प्रावधान किया जाये।
5. टैरिस पर 20,000 ली0 पानी रिजर्व टैंक में रखा जाये तथा प्रत्येक तल पर 30 मी0 लम्बी होज रील का प्राविधान किया जाये तथा होजरीलों में प्रेशर युक्त पानी प्राप्त करने के लिए 450 ली0 प्रतिमिनट क्षमता का पम्प लगाया जाये।
6. प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी 2005 के भाग-4 निहित प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त क्षमता का भूमिगत टैंक ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाये जहाँ अग्निशमन का भारी वाहन सुगमता से पहुँच सके, उस पर पर्याप्त क्षमता के मेन/डीजल/जॉकी पम्प का प्रावधान कर रिंग मेन्स पर प्रत्येक 100 फीट की दूरी पर यार्ड हाईड्रेन्ट एवं होजबॉक्स बनाकर प्रत्येक होजबॉक्स में 02-02 होजपाईप तथा 01-01 साधारण ब्रांच स्थापित किया जाय तथा प्रत्येक तल पर हाईड्रेन्ट का प्रावधान किया जाये।
7. प्रस्तावित भवन में विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाये।
8. भवन में एन0बी0सी 2005 के मानकों के अनुरुप प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशरों का प्रावधान किया जाये।
9. विद्युत पैनल पर 4.5 किग्रा0 क्षमता सी.ओ.टू फायर एक्सटिंग्यूशर तथा जनरेटर रूम में 50 ली0 क्षमता फोम ट्रॉली का प्रावधान किया जाये।
10. भवन में नियमानुसार आपातकालीन निकास द्वार होना आवश्यक है।
11. प्रस्तावित भवन में स्मोक डिटेक्टर एवं ऑटोमैटिक फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान किया जाये।
12. प्रत्येक भवन के प्रत्येक ब्लॉक की सतह लगभग 50 टन भार वाले एवं लगभग 50 फीट ऊंचाई के हाईड्रोलिक प्लेट फार्म का भार सहन करने हेतु भवन की सतह की मजबूती होनी आवश्यक है तथा हाईड्रोलिक मशीन को घूमने के लिए पर्याप्त सैट बैक का प्रावधान किया जाये।
13. भवन में यदि लिफ्ट का प्रावधान किया जाता है तो लिफ्ट की दीवारें कम से कम 02 घण्टे तक फायर रेटिंग क्षमता की होनी आवश्यक है।
14. भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं का निरीक्षण इस कार्यालय से कराया जाये।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ मैसर्स हरिद्वार वन, खसरा नं0 4/18, साधूवेला उत्तम बस्ती ग्राम भूपतवाला कंला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में आवेदक श्री परमिन्दर कुमार पुत्र स्व श्री ईन्द्रदास जी को उपरोक्त अंकित व्यवस्थाओं के साथ प्रस्तावित उक्त स्थल पर ग्रुप हाउसिंग निमार्ण कार्य हेतु संस्तुति सहित आख्या इस अनुबन्ध के साथ की जाती है, कि उपरोक्तानुसार समस्त सुरक्षा व्यवस्थायें निर्माण पूर्ण होने तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाए।

10/7/2017
(दानीराम)
अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांकः न-1/फा0स0ह0/17
दिनांकः जुलाई 10 ,2017।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांकः न–7 / सीएफओ–एच / 17 दिनांकः जुलाई , 2017।

श्री परमिन्दर पुत्र स्व0 श्री ईन्द्रदास,
निवासी–साधूवेला उत्तम बस्ती ग्राम भूपतवाला कंला, हरिद्वार।
व्यवसायिक भवन का पता–मैसर्स हरिद्वार वन,
खसरा न0–4 / 18, साधूवेला उत्तम बस्ती ग्राम भूपतवाला कंला
परगना ज्वालापुर, जनपद–हरिद्वार।

विषयः– <u>प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र अनापत्ति के सम्बन्घ में ।</u>

कृपया आपके पत्र दिनांक 25.06.2017 के अनुसार प्रस्तावित व्यवसायिक भवन का पता–मैसर्स हरिद्वार वन, खसरा नं0–4 / 18, साधूवेला उत्तम बस्ती ग्राम भूपतवाला कंला, परगना–~~नजीबाबाद~~ ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न मानचित्र का परिशीलन किया गया तथा स्थल का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार से कराया गया, अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की निरीक्षण आख्या पत्रांकः न–1 / फा0स0ह0 / 17, दिनांकः जुलाई 10, 2017 के अनुसार प्रस्तावित स्थल तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुॅच सकता है एवं स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है तथा बिन्दु संख्या 01 से 14 तक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सशर्त संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि भवन का मानचित्र के अनुसार निर्माण के उपरान्त तथा भवन को उपयोग में लाये जाने से पूर्व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें मानचित्र / नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के भाग–4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कराकर तथा स्थानीय थाना, अस्पताल एवं फायर स्टेशन हरिद्वार का टेलीफोन नं0 01334–265600 मुख्य स्थान पर अंकित कराकर इस कार्यालय को सूचित करें, उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाये, व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही अन्तिम रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। न किये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ एवं अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार की संस्तुति आख्या के आधार पर व्यवसायिक भवन मैसर्स हरिद्वार वन, खसरा नं0–4 / 18, साधूवेला उत्तम बस्ती ग्राम भूपतवाला कंला, परगना–~~नजीबाबाद~~ ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु इस उपबन्ध के साथ कि भवन के मानचित्र में प्रदर्शित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अग्निशमन अधिकारी के संलग्न पत्र में अंकित व्यवस्थाएं / सुझाव के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने तक पूर्ण करा ली जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार को उनके उपरोक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।